कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश

(कक्ष–राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स)

प्रियदर्शिनी वन विश्राम गृह परिसर, चार इमली, भोपाल – फोन नं. 0755-2421459; 2421451

E-mail--acfstsfmp@mpforest.org

क्रमांक / STSF / 2015 / 122 भोपाल, दिनांक 27/7/15

प्रति,

1. मुख्य वन संरक्षक (सामान्य)
   होशंगाबाद, जबलपुर, सागर एवं इन्दौर
2. क्षेत्र, संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
   होशंगाबाद (मध्यप्रदेश)

विषय:- श्वान दस्ते एवं श्वान के रख–रखाव हेतु दिशा निर्देश।

—00—

विषयांतर्गत प्रशिक्षण उपरांत प्रदाय किये गये प्रशिक्षित श्वान एवं श्वान दस्तों के रख–रखाव संबंधी दिशा–निर्देश संलग्न कर प्रेषित है।

दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर तदनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

25.7.15

(रवि श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

क्रमांक / STSF / 2015 / 123 भोपाल, दिनांक 27/7/2015

प्रतिलिपि :–

1. वनमंडलाधिकारी, होशंगाबाद, जबलपुर, दक्षिण सागर एवं इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
2. उप संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर, होशंगाबाद, जबलपुर एवं सागर को सूचनार्थ कर लेख है कि श्वान एवं श्वान दस्ते के रख–रखाव हेतु संलग्न दिशा निर्देश आपके अधीनस्थ श्वान दस्ते के हैण्डलर को उपलब्ध करायें एवं इसका पालन स्वयं एवं हेण्डलर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. सहायक संचालक, पचमढ़ी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सूचनार्थ कर लेख है कि श्वान एवं श्वान दस्ते के रख–रखाव हेतु संलग्न दिशा निर्देश आपके अधीनस्थ श्वान दस्ते के हैण्डलर को उपलब्ध कराये एवं इसका पालन स्वयं एवं हेण्डलर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

डॉग स्क्वॉड (श्वान दस्ता) के नियम एवं निर्देश

(अ) सामान्य निर्देश

1. सुबह 6 बजे श्वान को केनल के बाहर निकालकर उसके सामान्य स्वास्थ पर ध्यान देवें।
2. श्वान को नित्य 3 कि.मी. प्रातः इन्डोरेन्स (कसरत–दौड़ना–भगाना) करायें। एक से डेढ़ घंटे तक अभ्यास कराये।
3. अभ्यास के बाद श्वान की सफाई एवं ग्रुमिंग 45 मिनट तक करें।
4. श्वान दस्ते के प्रभारी केनल की सफाई एवं श्वान की प्रगति अवश्य देखे।
5. श्वान को भोजन देकर ड्यूटी के लिए तैयार करें, जब कही से श्वान की मांग आये तभी श्वान को ड्यूटी पर ले जावे अन्यथा श्वान को अनावश्यक परेशान न किया जावे ।
6. श्वान का पशुचिकित्सक से सामान्य से स्वास्थ परीक्षण कराकर वजन लेना अनिवार्य है। इसे कार्ड में अंकित करावें एवं श्वान के स्वास्थ संबंधी कार्ड नियमित भरें।
7. प्रत्येक माह श्वान का प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में मुख्यालय एवं अपने नियंत्रण अधिकारी को अनिवार्य से भेजा जावे।
8. वेक्सीनेशन समय पर लगवा कर निर्धारित पंजी में प्रविष्ठी कराये।
9. केनल की रोजाना 100 मि.ली. फिनायल से सफाई करें, एवं साप्ताहिक सफाई ब्लीचिंग पाउडर से करें तथा केनल की 6 माह में पुटिंग करवाकर पुताई करावें।
10. श्वान जिस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है उससे वही कार्य लिया जाय, अन्य कार्य किसी भी परिस्थिति में न कराया जाय अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है।
11. मादा श्वान के हीट पीरियड की सूचना मुख्यालय एवं नियंत्रण अधिकारी को समय पर देवे तथा पशु चिकित्सक से परामर्श कर संभवित हीट पीरियड की भी सूचना दी जाये।
12. मादा श्वान को हीट पीरियड में पूर्ण विश्राम दिया जाये, उससे कार्य न लिया जावे।
13. इकाई में पदस्थ नर एवं मादा श्वान की किसी भी परिस्थिति में क्रासिंग न करायी जाय।
14. मौसम के अनुसार श्वान को गर्मी में कूलर तथा सर्दी में हीटर उपलब्ध कराया जाय।
15. केनल में श्वान के लिये एक 9" उंचा ,2.6 फीट चौड़ा और 4 फीट लम्बा लकड़ी का तख्त अवश्य रखें, इससे श्वान का मौसम परिवर्तन के समय अस्वस्थ्यता से बचाव भी होता है।
16. इकाई में श्वान परिचारक (हैण्डलर) को आवश्यकतानुसार आर्टिकल संबंधित आहरण/संवितरण द्वारा अधिकारी उपलब्ध कराया जाये।

(ब) आहार संबंधी निर्देश

1. श्वान के खाने का समय निश्चित रखें। कभी भी श्वान को गुस्से मे खाना न दें।
2. कड़ी कसरत के बाद या पहलें खाना देना उचित नही, ना ही लम्बें सफर के पूर्व खाना दें।
3. श्वान को हमेशा ताजा खाना दे। खाना न अधिक गर्म ना अधिक ठण्डा होना चाहिए।
4. श्वान के सामने खाने की प्लेट रखे। खाते समय उसे डिस्टर्ब न करें। खाने के लिए उस 10–15 मिनट का समय दें। उसके बाद प्लेट हटा लें, चाहे उसमें खाना शेष रह गया हो। इससे आपका श्वान पूरा खाना सीख जायेगा।
5. कभी–कभी श्वान खाना सूंघकर ही खाने से हट जाता है, या एक, दो मुँह मारकर (नहीं खाता) बस कर देता है। यदि आपके श्वान का स्वास्थ्य ठीक और चुस्त दुरुस्त है तो परेशान होने की जरुरत नही है। शायद आपका श्वान व्रत रखकर अपनी पाचन क्रिया सुधारना चाहता है। यदि वह 24 घंटे के बाद भी खाना नहीं खा रहा है, और थका व उदास लग रहा है, तो पशु चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है।
6. एकदम खाना बदलना पाचन क्रिया के विकार का कारण हो सकता है। यह धीरे–धीरे करना चाहिए। नई खुराक की थोड़ी मात्रा पुरानी खुराक में मिला दे, फिर धीरे–धीरे नई खुराक से रिप्लेस करें।
7. यह धारणा गलत है कि श्वान के लिए दूध पूर्ण आहार है। बल्कि श्वान में "लेक्टेज एन्जाइम" की कमी के कारण दूध का पाचन ठीक तरह से नही हो पाता,जिसके दस्त लग जाते है।
8. यह धारणा भी गलत है कि कच्चा मांस देने से श्वान खूंखार हो जाता है। कच्चा मांस देना उचित नही है, जबकि इससे श्वान को अंतः परजीवी बीमारी होने की संभावना रहती है।
9. श्वान अपना भोजन जल्दी गटकते है। इस संदर्भ में चिंतित न हो। यह उसके खाने का प्राकृतिक तरीका है।

(स) स्वस्थ्य श्वान के लक्षण

1.प्रकटतया–चुस्त, दुरुस्त, सचेत। 2. कोट–चिकना, चमकदार। 3.त्वचा–लचीली, नरम, हवादार। 4. चुस्तचाल। 5.नेत्र–साफ, चमकती आंखें। 6.नासिका–नम, बिना किसी स्राव के। 7. होंठ, दांत, झिल्ली गुलाबी, दांत मतबूत टार रहित। 8.सांस–नियमित तथा गंधरहित। 9.शरीर–कोई गांठ नहीं, जख्म, कट नही, कोई सूजन नही, थनों क आसपास गांठ नही। 10. मूत्र–साफ, हल्का पीला 11.मल–बंधा हुआ नियमित।

(द) रोग की चेतावनी के लक्षण

1. 1.व्यवहार में बदलाव–सुस्ती, थकावट, कसरत में दिलचस्पी नहीं लेना, चिडचिड़ापन, कटखनापन
2. खानपान– में अरुचि, कलुषित क्षुधा,शारीरिक भार में कमी।
3. प्यास– बार–बार पानी पीना या बिल्कुल न पीना, प्यास ना बुझना।
4. मूत्र–सामान्य से अधिक, गाढा पीलापन, काफी क रंग का, रक्त रंजित, जोर लगाने पर भी न आ आना, मिकदार में कमी।
5. मल–पतला, रक्त मिश्रित, सख्त ,बदबूदार कब्ज ।
6. वमन–रक्त मिश्रित,झागदार, बार–बार जल्दी–जल्दी,खाने के तुरंत बाद,दर्द थकान अथवा ज्वर के
7. नेत्र दृष्टि–लाली लिए हुए,स्राव पतला/गाढा, धंसी हुई आंखें, पलकें सूजी, रोशनी का चुभना, दिक्कत।
8. चाल–चलने ,उठने, बैठने अथवा टटोलने पर दर्द।
9. खांसी–खांसी के दौरे पड़ना,छींक आना, नाक से स्राव,नथूनों की बुदें गायब।
10. कान–कान मे बदबू आना, मैल जमा होना,सर एक तरफ झुकाए रखना, हिलाते रहना,पंजे से भूमि पर रगड़ना,त्वचा के नीचे गुगड़।
11. ज्वर–102.5 डिग्री फा. से अधिक तापमान चिंता का विषय ।
12. त्वचा के नीचे का उभार जो जल्दी बढ़ रहा हो ,पेट पर थनों के आसपास अथवा अण्डकोश पर
13. बाल/त्वचा –अधिक झड़ना, लीके, घिस्सु, जख्म, फोड़े, कट, खाज आदि।
14. नैसर्गिक छिद्रों से स्राव,रक्तरंजित, बदबूदार। सांस लेने मं कष्ट। दौरे पड़ना,जोड़ों का दर्द, झटके से हिलना (कोरिया) आदि।

उपरोक्त कोई सा भी संकेत दृष्टिगोच होते ही "वेटनरी डॉक्टर" (पशु चिकित्सक) से इन लक्षणों का पूर्ण विवरण दें। जितना पूर्ण विवरण देगें उतना ही निदान तथा उपचार में "वेटनरी चिकित्सक) की मदद करेगें। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आप स्वयं उपचार न करें इसके लिए सक्षम नहीं है।

(ई) डॉग मास्टर (हैण्डलर) निम्नलिखित बातो का जबाबदार होगा।

1. अगर केनल के एरिया में कोई आदमी घूमता मिले तो पूछताछ करना आवश्यक है।
2. केनल मेंनेजमेंन्ट,श्वान की सफाई (स्वीपर का काम छोड़कर) के साथ अन्य सभी चीजों का जब
3. अपने श्वान के हित का ध्यान रखने,नियमित नियमपूर्वक ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार होगा।
4. अपने श्वान में कोई बीमारी के लक्षण को देखता है, तो फौरन पशु चिकित्सक को रिपोर्ट देने, तथा रहन सहन पर ध्यान रखने और "वेटनरी डॉक्टर" (पशु चिकित्सक) के बतायें हुए उपचा जबाबदार होगा।
5. अपने श्वान की छोटी मोटी बीमारी के उपचार(होम–नर्सिंग) जिसके लिए प्रशिक्षण के दौरान ब हेतु जिम्मेदार होगा।
6. मास्टर (हैण्डलर) अपनी डियूटी तब तक करता रहेगा जब तक कि दूसरा आदमी उसके बदले जावे।
7. अपने चार्ज में श्वान से संबंधित समस्त सामान ठीक से रखने का जबाबदार होगा।
8. जब श्वान को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो डॉग की देखभाल,सुरक्षा और उससे संबंधित साथ रखने का दायित्व डॉग मास्टर (हैण्डलर) का है।
9. जिस डियूटी के लिए श्वान तैयार किया जाता है,उससे वही डियूटी कराई जाये दूसरी नहीं।

(घ) डॉग हेण्डलर के गुण

1. अपने श्वान कि लिए उसको प्यार करने वाला होना चाहिए।
2. स्वभाव का नम्र,चुस्त निरोग, इरादे का पक्का, साफ आवाज वाला और सुशिक्षित होना चाहिए।
3. गुस्सा ओर नशा करने वाला नहीं होना चाहिए । यदि नशा करने का आदि है, तो श्वान से दूर रह कर करें।

(ङ) हेण्डलिंग के सिद्धांत

1. मजबूती तथा दयालुता से काम करना।
2. बार बार काम दुहराना।
3. सफलता पाना।
4. इनाम देना।
5. हर गलती को ठीक करना।
6. समय का ख्याल रखना।
7. वर्ड ऑफ कमाण्ड सही देना।

(च) होम नर्सिंग

जब आपका श्वान बीमार नजर आये तो उसे तुरंत वेटनरी डॉक्टर (पशुचिकित्सक) को दिखाएं। छोटी मोटी तकलीफ के लिए किसी फार्मासिस्ट पर भी भरोसा कर सकते है। श्वान का मालिक स्वयं भी कुछ हद तक प्राथमिक चिकित्सा अपने ''श्वान को'' दे सकता है। इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना होगा।

1. दवाई कैसे दें–श्वान के मुख को थोड़ा साइड से खोलकर चम्मच की सहायता से दवा दी जा सकती है। कड़वी दवा होने पर श्वान के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ेगा। दवा अपने ''श्वान को'' पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार ही दें।
2. बुखार कैसे मापे–श्वान के शरीर का तापमान जानने के लिए एक क्लीनिकल थर्मामीटर उसके रेक्टम (गुदा मार्ग) में 30 सेकण्ड के लिए डालें। श्वान का साधारण शरीरिक तापमान 38–39 डिग्री सेल्सियस (100.4–102 डिग्री फारेनहाइट) होता है।
3. दांतो को ब्रश करना–दांतो की बीमारी से अपने श्वान को बचाने के लिए सप्ताहांत में उसे अपने 'पशु चिकित्सक' को जरुर दिखाएं। अपने श्वान को रोज दांतो में ब्रश करने की आदत डाले । निःसंदेह यह कार्य आपको ही करना है। इसके लिए आप अपने 'पशु चिकित्सक' द्वारा बताये गए विशेष '' कैनाडन टूथपेस्ट '' का इस्तेमाल करें।
4. कानों की देखभाल–श्वान के कान को ऊपर की ओर पकड़े। उसका सिर सीधा रखें। ड्रापर से दवा कान में डालें। फिर कान को बाहर से थोड़ा–सा मलिया (मालिश) करें।
5. आंखो की देखभाल–अपनी अंगुली और अंगूठे की मदद से श्वान के मुंह को इस तरह पकड़े कि उसकी आंखे उपर की ओर खुली रहे। फिर आराम से ड्रापर के द्वारा दवा आंखो में डाले दें। दवा डालने के बाद कुछ सेकण्ड के लिए उसी स्थिति में रखें, ताकि दवा का असर आंखो के पूरे भाग में हो।
6. जब श्वान घायल हो जाए–सबसे पहले तुरंत श्वान के पास जायें। देखे कि कही उसके शरीर से खून तो नहीं निकल रहा है। श्वान की अपने स्वाभाविक जंगली प्रवृत्ति में आने की आंशका हो तो उसके मुंह को ''मजल'' कर सकते है।उसके हृदय की धड़कन आदि की जांच करें। देखें वह खड़े हो पाने में समर्थ है या नही। यदि नही तो उसे तुरंत किसी कंबल, टॉवेल आदि पर लिटाएं और दो तीन व्यक्ति मिलकर उसे आराम से उठाकर किसी आरामदायक जगहपर लिटा दें। जरुरत हो तो 'पशु चिकित्सक' को बुलावा भेजे।

यदि चोट मामूली हो तो खून निकलने वाली जगह देर तक दबायें रखें फिर पट्टी बाधं दें, गीली पट्टी बांधी जा सकती है। पाउडर, क्रीम इत्यादि न लगाएं। पट्टी खुलने से बचाने कि लिए एडेसिव टेप का प्रयोग करे।

7. कृत्रिम सांस देना—यदि आपका श्वान बेहोश होकर गिर पड़े या फिर कीचड़, पानी आदि में बुरी तरह डूब जाए,तब उस स्थिति में उसे कृत्रिम सांस देना निहायत जरुरी है। पहले यह देखें कि उसकी साधारण रुप से चल रही है या नहीं यदि नही, तो उसकी छाती पर जोर—जोर से दबाव डालें। यदि धड़कन चल रही है तो श्वान के नथूनों में अपने मुंह से हवा तेजी से छोडें। यह कार्य जल्दी करें, तकरीबन 5—5 सेकण्ड पर।

वेक्सीनेशन (टीकाकरण)—सेवन इन वन/एट इन वन

1. 4 सप्ताह की आयु में (पपी डी.पी.)
2. 6 से 8 सप्ताह की आयु—सेवन इन वन/एट इन वन
3. 10 से 12 वें सप्ताह में—सेवन इन वन/एट इन वन
4. सेवन इन वन लगाने के एक माह बाद(बुस्टर डोज)
5. प्रत्येक वर्ष में एक बार—सेवन इन वन/एट इन वन

ए.आर.व्ही.

1. 12वें सप्ताह में
2. एक माह बाद(बुस्टर डोज)
3. प्रत्येक वर्ष में एक बार

डिवर्मिंग

1. प्रथम सप्ताह में
2. प्रथम डोज के 15 दिन बाद में
3. दूसरे डोज के 15 दिन बाद में
4. दो माह की आयु में
5. 6 माह की आयु तक प्रत्येक 2 माह में
6. 2—3माह में एक बार

नोटः— पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार व स्टूल परीक्षण की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त शेड्यूल में परि... किया जा सकता है।

वनमंडलाधिकारी/उप संचालक एवं टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी हेतु विशेष निर्देश :—

1. श्वान के भोजन, भोजन पकाने हेतु बर्तन, रसोई गैस इत्यादि की व्यवस्था एवं पूर्ति की जवाबदारी प्रभारी अधिकारी की होगी।
2. श्वान के वर्तनों की स्वच्छता एवं पीने हेतु साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं, यह देखना प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
3. श्वान का पशु चिकित्सक से रुटीन परीक्षण कराया जा रहा है, एवं श्वान स्वस्थ है या नही, यह सुनिश्चित करना प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा।
4. श्वान के केनल की साफ—सफाई, ग्रुमिंग एवं उसके प्राथमिक उपचार की सामग्री हैण्डलर के पास उपलब्ध है या नही, यह सुनिश्चित करना भी प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा।
5. समय—समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन कराया जाना भी प्रभारी अधिकारी का दायित्व होगा।
6. श्वान से संबंधित विभिन्न पंजियों का संधारण अद्यतन हो रहा है, अथवा नही, प्रभारी अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रत्येक माह के समाप्ति पर चैक कर उस पर अपने दिनांकित हस्ताक्षर करेगें।
7. वनमंडलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार संसाधन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

25.7.15

(रवि श्रीवास्तव)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एमपी नगर, जोन–1, भोपाल–462011
दूरभाष : 0755–2674206, 2674248, 2674318 फैक्स : 0755–2766315
E-mail : pcefwlife mpforest.org

क्रमांक / व.प्रा. / संरक्षण / 2017 / 157 / 5792 भोपाल दिनांक 28.08.2017

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय, म.प्र.
समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व, म.प्र.
संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी / वन विहार रा.उद्यान भोपाल
प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स जबलपुर, इन्दौर, सागर, सतना एवं होशंगाबाद

विषयः–मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत डाग स्क्वाड का संचालन।

———

मध्यप्रदेश राज्य में वन विभाग के अंतर्गत वन्यप्राणी कक्ष में अनेक क्षेत्रीय इकाइयों में डाग स्वाड उपलब्ध है। पूरे प्रदेश के अन्तर्गत वन्यप्राणी अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से डाग स्क्वाड की आवश्यकता हेतु दिनांक 28.8.2017 को मुख्यालय में समीक्षा की गई। इस समीक्षा के अनुसार संलग्न सूची में यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश में किन–किन स्थलों पर डाग स्क्वाड का संचालन किया जायेगा। जहॉ नये डाग स्क्वाड स्थापित किये जाने है अथवा पुराने डाग के स्थान पर नया डाग दिया जाना है, वहॉ डाग की व्यवस्था मुख्यालय द्वारा की जावेगी। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों से यह अनुरोध है कि वे एक डाग हेतु 2 हेंडलर का चयन कर लें, जो 40 वर्ष से कम आयु के वन रक्षक रहेंगे तथा आगामी 10 वर्ष तक यह कार्य करने के लिए सहमत है। क्षेत्रीय अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे डाग स्क्वाड के संचालन हेतु स्थल का चयन कर वहॉ *केनल* आदि सुविधाएं विकसित करने के लिए आवश्यक बजट राशि की मांग मुख्यालय से करे। इस हेतु कृपया उचित नियोजन के लिए निकटस्थ डाग स्क्वाड के स्थल का भ्रमण संबंधित हेंडलर एवं उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा कर लिया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया है कि मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत नियमित रूप से नये डाग के प्रशिक्षण तथा पुराने डाग के रिफरेशर कोर्स के लिए मटकुली में वन विभाग की प्रशिक्षण व्यवस्था इसी साल से प्रारंभ की जायेगी। इसी स्थल पर ऐसे डाग भी रखे जायेगे जो सक्रिय वन अपराध नियंत्रण के लिए अब सक्षम नहीं बचे। उनकी सहायता नये डाग के प्रशिक्षण में ली जा सकती है। इस केन्द्र का संचालन एस.टी.एस.एफ. होशंगाबाद के प्रभारी अधिकारी (मो–9424792115) द्वारा किया जायेगा।

डाग स्क्वाड के प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं। कृपया इनका पूरी निष्ठा के साथ पालन सुनिश्चित किया जाये।

1. डाग को निर्धारित डाग केनल में ही रखा जाये।
2. डाग केनल का निर्माण वन्यप्राणी मुख्यालय से पूर्व में भेजे गये प्लान अनुसार किया जाये। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है।
3. डाग को प्रतिदिन 3 घण्टे (सुबह 2 घण्टा एवं सायं 1 घण्टा) निर्धारित माप दण्ड के अनुसार Nose works, Tracking , Wildlife Article Sniffing एवं Physical practice करवायें।
4. हेंडलर एवं सहायक हेंडलर का निवास डाग केनल के समीप होना चाहिए।

5. डाग को प्रशिक्षण उपकरण तथा शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्यप्राणी अवयवों से प्रतिदिन अभ्यास करवायें।

6. डाग का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाये तथा हेंडलर के द्वारा हमेशा केनाइन प्राथमिक उपचार किट अपने साथ रखा जाये।

7. डाग स्क्वाड का प्रभारी वन क्षेत्रपाल से निम्न स्तर का अधिकारी न हो।

8. डाग के खान पान की व्यवस्था निर्धारित मापदण्ड अनुसार अलग से की जाये।

9. डाग स्क्वाड के प्रभारी, हेंडलर एवं सहायक हेंडलर के मोबाइल नम्बर उनके कार्य क्षेत्र के समस्त वनाधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि उन्हें तत्काल सूचित किया जा सके।

10. डाग स्क्वाड उनके कार्य क्षेत्र में वन्यप्राणी अपराध के संवेदनशील स्थलों, मुख्य रेल्वे स्टेशनों, शिकारी समुदाय के डेरों एवं हाट बाजार का नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

11. वन्यप्राणी अपराधों के अतिरिक्त गंभीर वन अपराधों में भी डाग स्क्वाड का उपयोग किया जायेगा।

12. वन एवं वन्यप्राणी अपराधों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य प्रवर्तन एजेंसी जैसे पुलिस, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आदि को डाग स्क्वाड की आवश्कता होती है तथा डाग उपलब्ध हो तो इन एजेसिंयो को भी डाग की सहायता हेंडलर के साथ उपलब्ध कराई जा सकेगी।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

J. Agrawal 28/8/17

(जितेन्द्र अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/व.प्रा./संरक्षण/2017/5793
भोपाल, दिनांक 28.08.2017

प्रतिलिपिः—

1. निज सचिव, मान. वन मंत्री, मध्यप्रदेश, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. मेसर्स सेविंग टाइगर सोसायटी, कोलकाता की ओर सूचनार्थ प्रेषित। मटकुली में स्क्वाड हेत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तथा विभिन्न स्थलों पर डाग स्क्वाड के निर्माण स्थल के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों से समन्वय बनाने का अनुरोध है। वन विभाग आपके संस्थान की ओर से निःशुल्क डाग उपलब्ध कराने के लिए संस्था का आभारी है। आशा है कि भविष्य में भी आपकी संस्था का सहयोग इस कार्य में प्राप्त होता रहेगा।
5. श्री रितेश सरोठिया, उप वन संरक्षक एवं प्रभारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, चार इमली, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

J. Agrawal 28/8/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र.	वृत्त का नाम	डॉग स्क्वाड रखने का स्थल	विशेष विवरण
1	बालाघाट	रेंजर कॉलेज बालाघाट	नया स्क्वाड।
2	बैतूल	बैतूल (फारेस्ट स्कूल कैम्पस)	नया स्क्वाड।
3	भोपाल	भोपाल (मेंडोरा)	पहले से कार्यरत् है।
4	छतरपुर	छतरपुर	नया स्क्वाड। मुख्य वन संरक्षक स्थल का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
5	छिन्दवाड़ा	–	पेंच टा.रि. के पास जमतरा में एवं सतपुड़ा टा.रि. के पास मटकुली में कार्यरत् स्क्वाड का उपयोग करें।
6	सिवनी	–	पेंच टा.रि. के पास कुरई में कार्यरत् स्क्वाड का उपयोग करें।
7	ग्वालियर	देवरी ईको सेन्टर	नया स्क्वाड।
8	होशंगाबाद	बाघदेव बैरियर कैम्पस	वर्तमान में इटारसी में कार्यरत् है।
9	इन्दौर	रालामंडल	टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर में कार्यरत् है।
10	जबलपुर	कटनी	वर्तमान में जबलपुर में कार्यरत् है। नये श्वान को प्रशिक्षण उपरांत कटनी में रखा जायेगा।
11	खण्डवा	खण्डवा	नया स्क्वाड।
12	रीवा	–	टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सतना व संजय टा. रि. के पास बस्तुआ में कार्यरत् स्क्वाड का उपयोग करें।
13	शिवपुरी	शिवपुरी	माधव राष्ट्रीय उद्यान में कार्यरत् स्क्वाड का उपयोग करें।
14	शहडोल	ताला	ताला में नया प्रशिक्षित डॉग भेजा जा रहा है। उसका उपयोग करें।
15	सागर	सागर	टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सागर में कार्यरत् स्क्वाड का उपयोग करें।
16	उज्जैन	रतलाम	नया स्क्वाड। स्थल चयन मुख्य वन संरक्षक करें।
17	कान्हा टाइगर रिजर्व	मुक्की	पहले से कार्यरत् है।
18	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	ताला	पहले से कार्यरत् है।
19	पेंच टाइगर रिजर्व	जमतरा एवं कुरई	पहले से कार्यरत् है।
20	पन्ना टाइगर रिजर्व	पन्ना	पहले से कार्यरत् है।
21	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	मटकुली	पहले से कार्यरत् है।
22	संजय टाइगर रिजर्व	बस्तुआ	पहले से कार्यरत् है।
23	माधव राष्ट्रीय उद्यान	शिवपुरी	पहले से कार्यरत् है।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश

प्रियदर्शिनी वन विश्राम गृह परिसर, चार इमली, भोपाल - फोन नं. 0755-2421459, 2421451
E-mail—acf.stsf@mp.gov.in

क्रमांक / STSF / 2018 / 101 भोपाल, दिनांक : 29/01/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक / संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
5. समस्त मंडल प्रबंधक वन विकास निगम

मध्य प्रदेश।

विषयः— वन्यप्राणियों की मृत्यु / शिकार के प्रकरण के संबध में डॉग स्क्वाड का उपयोग एवं पोस्टमार्टम।

आपके अधीन क्षेत्रों में यदि वन्यप्राणी बाघ, तेन्दुआ एवं भालू की मृत्यु / शिकार की घटना प्रकाश में आती है तो इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों तथा एन.टी.सी.ए. नई दिल्ली द्वारा जारी एस.ओ. पी. के अनुसार कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त कार्रवाई करते समय निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाये :—

1. निकटतम श्वान दल (डॉग स्क्वाड) को अविलम्ब सूचित कर घटना स्थल पर बुलावें तथा डॉग स्क्वाड के आने तक किसी भी व्यक्ति को वन्यजीव के शव के समीप न जाने दें। घटना स्थल के चारों ओर रस्सी / टेप से सीमा बनाकर स्थल को सुरक्षित (Cordon off) करें।
2. मृत बाघ, तेन्दुआ एवं भालू का पोस्टमार्टम डॉग स्क्वाड के आने के बाद ही करावें। पोस्टमार्टम निकटतम टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान या सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ, जबलपुर के विशेषज्ञ या अन्य किसी विशेषज्ञ वन्यप्राणी पशु चिकित्सक से ही करवायें। संबंधित वन्यप्राणी पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

19.1.18

(जितेन्द्र अग्रवाल)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र.

पृ. क्रमांक / STSF / 2018 / 102 भोपाल, दिनांक : 29/01/2018

प्रतिलिपि :—

1. प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.1.18

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र.

TRAFFIC
the wildlife trade monitoring network

TRAFFIC India, WWF India Secretariat
172-B Lodi Estate, New Delhi 110003 INDIA
Tel: +91-11-41504786, Fax: +91-11-43516200
Email: trafficind@wwfindia.net Website: www.traffic.org

January 16, 2018
Ref: TRF-0058/SD/40/17

To,
PCCF & Chief Wildlife Warden
Govt. of Madhya Pradesh
BDA Building 3rd Floor M.P Nagar Zone-1
Hoshangabad Road, Bhopal -462011

Subject: **Training and raising of Wildlife Sniffer Dog squads for Strengthening Wildlife Enforcement in India- Phase VII**

Dear Sir,

As you are aware, TRAFFIC India runs a Wildlife sniffer and tracker dog training program to support wildlife enforcement activities in different Tiger Reserve and Protected Areas across India since 2008. This program has turned out to be very successful in strengthening wildlife enforcement activities at the field level. So far 56 sniffer dog squads have been trained and deployed in 17 states and union territories.

Under this program, each dog squad, consisting of two handlers (nominated by the State Forest Departments) and one dog (pup) of 6-9 months age, procured by TRAFFIC India, undergo a rigorous nine months long training at a National Level Detector Dog training institute. The nominated handlers are preferably the permanent employees of Forest Department at the rank of forest guard or forest watcher under the age of 35 years. (Annexure 1: *Guidelines for selection of hander*).

All direct costs for training and raising the dog squads is borne by TRAFFIC India. The respective State Forest Department bear the travel and transportation cost of the handlers and dog after training. Post training costs of maintaining the dog squad, including the salary of the handlers and upkeep cost of the dog after its retirement from active life (i.e. 8 years) are also to be borne by the state government. The cost structure has been explained in Annexure 2.

In this context we are pleased to declare that, call of nominations for the next course of TRAFFIC's Super Sniffer Program (7th Batch) is now open for consideration. The course will be starting from March 2018 onwards.

We request you to kindly send us proposal for providing of trained dog squad, if you consider it to enhance wildlife enforcement capabilities of the Forest Department in any protected area or territorial area of your state.

We would be happy to collaborate with you for establishment of the Dog Squad in area identified by you and look forward to hearing from you at the earliest possible.

Sincerely,
Thanking you,

Dr Saket Badola, IFS
Head TRAFFIC India

Copy: for information and necessary action.
1. Field director, Kanha Tiger Reserve, Madhya Pradesh
2. Field Director Pench Tiger Reserve, Madhya Pradesh
3. Field Director, Bandhavgarh, Tiger Reserve, Madhya Pradesh
4. Field Director, Panna Tiger Reserve, Madhya Pradesh
5. Field Director, Satpura Tiger Reserve, Madhya Pradesh
6. Filed Director, Sanjay-Dubri Tiger Reserve, Madhya Pradesh

TRAFFIC

the wildlife trade monitoring network

TRAFFIC India, WWF India Secretariat
172-B Lodi Estate, New Delhi 110003 INDIA
Tel: +91-11-41504786, Fax: +91-11-43516200
Email: trafficind@wwfindia.net Website: www.traffic.org

March 5, 2018
Ref. TRF-088/SD 63/18

To,
PCCF(WL) & CWLW
Madhya Pradesh Forest Department
Govt. of Madhya Pradesh

Sub: Training and raising of wildlife Sniffer Dog squads for Strengthening Wildliie Enforcement in India - Phase VII

Ref:-1)This office letter TRF-0058/SD/40/17 Dated 16/01/2018
2) FD Satpura's E-mail dated 02.02.2018

Dear Sir

With regards to the email cited in 2 above, dated 02.02.2018, we would like to inform you that the provision for training of One sniffer dog squads for Satpura Tiger Reserve have been made. The nine months long training will start from 2nd April 2018, in this phase as communicated by the training centre, all the handlers needs to report to The Officer Commanding, National Training Centre for Dogs(NTCD), BSF Academy, Tekanpur Gwalior twenty days before the start of the dog training i.e. 12th March 2018.

Therefore you are requested to issue orders to the nominated handlers giving them directions to report at the training centre accordingly.

Also an MoU for setting up of Dog squad is required to be signed between Head- TRAFFIC India and PCCF(WL)/CWLW of respective state. The draft of which would be sent to you in due course for signing.

For any assistance and further querry, the handlers may contact

Mr Amar Nath Choudhary
Sr. Project Officer, TRAFFIC India
Mob.: +91 9818392039, +91 8802301091
Email: amar@wwfindia.net

Thanking you.

Sincerely

Dr Saket Badola, IFS
Head TRAFFIC India

Copy: Field Director, Satpura Tiger Reserve, Madhya Pradesh Forest Department, Govt. of Madhya Pradesh

Enclosure:

- Standard Operating procedure for Dog Squad training & deployement is attached herewith for your kind reference

Guidelines on Standard Operating Procedures (SOP) for TRAFFIC/WWF India Sniffer Dog Programme

The points given forth shall serve as the Standard Operating Procedure (SOP) of the dog squad with State Forest Department, trained through TRAFFIC/WWF India Sniffer Dog Programme, at the National Training Centre for Dogs (NTCD), Border Security Force Academy, Tekanpur, Gwalior, Madhya Pradesh.

It shall be understood that for the purpose of this SOP, the term 'dog squad' shall constitute: the canine, his/her handler and assistant handler of the State Forest Department.

I. Guidelines for selection of handler and assistant handler

1. The Handler and Assistant Handler should be chosen from the rank of Forester, Forest guard, or Forest watcher, if from the Forest Department or their equivalent in other User Agency.
2. At least the handler should be a permanent staff of the department.
3. As far as possible, the Handler /Assistant Handler should be selected from the age group of 25-35 years at the time of entry into the service.
4. The Handler /Assistant Handler must be in good mental and physical health and free from any physical disability which will interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, if found not to satisfy requirements will not be inducted in training.
5. It will be helpful if the selected Handler /Assistant Handler has a known affinity towards dogs.
6. Previous experience in handling dogs could be an added advantage.

II. Conduct Guidelines

1. The handler and assistant handler will have to adhere to the rules of the training centre and of their respective state.
2. In case of violation of conduct rules by the handler or assistant handler during the training, the decision of the Officer Commanding, NTCD will be final. The matter will be intimated to the respective State Forest Department.
3. The handler and assistant handler shall at all times treat the dog humanely and avoid at any point of time mental or physical abuse the canine.
4. At all times of the programme the dog squad demonstrates best practices of discipline.

III. Finance

Adequate budgets to be allocated by State Forest Department for the dog squad for recurring expenses of the dog squad prior to training and post training.

Particulars of Expenditure	Unit cost INR*	No of Units	Payment schedule
Transportation of staff to and return from the centre with dog	As per actual	one time	Before and post training
Salary of the handlers	As per actual	per month	Recurring
Construction of kennel at the site of deployment	250000*	Per dog squad	before the completion of training
Dog maintenance cost (food 10000 INR, medicine 2000 INR, tick powder, other dog accessories INR 500)	12500*	Per dog per month	Recurring

*** Note:** All above costs are approximate quotes based on the rates of FY 2017-18.

IV. Welfare of the Deployed Dog Squad

A. Kennels

1. The dog will be kept in a kennel designated exclusively for the canine(s). Requisite dimensions should be according to the guidelines issued by the training centre. The model map of the kennel has been provided for reference in Annexure I.
2. The kennel needs to be ready before the completion of the training.
3. The kennel should be cleaned everyday with phenyl and a small dosage of an ectoparasiticide (such as Deltamethrin or Amitraz). Since ticks and fleas are commonly found on the walls and floors of a dog's dwelling, especially during summer and monsoons and areas with a lot of vegetation around, usage of an insecticide with these components will minimize the risk of ecto-parasites, while being safe for the animal as well.
4. The kennel should at all times have a fresh bowl of water available for the dog.
5. Stagnant water should not be allowed to collect near the quarters, especially during mosquito breeding season, since mosquito borne diseases can be contracted by canines and may be life-threatening.

B. Health care

a. Canine veterinary care

1. In the absence of a veterinarian employed with the State Forest Department, a local veterinarian, registered with the Veterinary Council of India, should be appointed as the regular consultant for the sniffer dog.
2. The dog should be subjected to a full medical checkup, at least twice a year for the first eight years, post which they should be conducted at intervals of three months.

3. All vaccinations and administration of de-worming medication should be done as per schedule. Handler card should be maintained for the records all logged in one place for reference on the dog care note which will be provided by the training centre.
4. The diet should be according to the guidelines issued by the veterinarian at the training centre. The same may be modified in consultation with the local veterinarian.
5. The dog should be bathed only with shampoos/formulations meant for animal use, which may be decided in consultation with the veterinarian, depending on the dog's needs. The bathing schedule should be dependent on the season/weather, (summer/monsoon season once every fortnight; winter season once a month). Too much shampooing washes out the natural oils from the dog's coat. An ectoparasiticide may also be used once in two months/monthly to eliminate any parasites on the body, in consultation with the vet.
6. The dog should be groomed daily to stimulate blood flow to the epidermal layer and encourage healthy hair and skin.
7. Basic hygiene needs to be maintained at all time, with special attention paid to the eyes, gums and ears staying clean. Techniques for the same would have been imparted during the training.
8. Medical insurance should be made for the canine on active duty.

b. Handler and Assistant Handler medical care

1. The handler and assistant handler, of ever dog squad, will be provided pre-emptive rabies vaccinations prior to the training. The booster shots of the same shall continue, annually, as per protocols.
2. Medical insurance should be done for the dog squad's handler and assistant handler on active duty, in case of injury.
3. A full annual health check-up should be conducted for the handler and the assistant handler to make sure that they are in the prime of health.
4. Care should be taken to spray the human habitation with the ectopariscidal dosage.

C. <u>Sterilisation</u>

1. All dogs of the programme will be sterilised and are not to be used for breeding purposes.
2. The dog should be sterilised within three months of being deployed, if he/she has already not been neutered/spayed.
3. The cost of the sterilization shall be borne by TRAFFIC India.
4. In the case of a male dog, a minimum 10-day rest period shall be given post-operation and in the case of a female dog a minimum 15-day rest period, to facilitate full recovery from the surgery or as recommended by the veterinarian.
5. Veterinary supervision and administration of all post-operative antibiotics should be done by the veterinarian in-charge.

V. Dog Squad Regime

A. Anti-poaching and anti-tracking surveillance

1. The canine(s) should be a part of the anti-poaching unit and only the exclusively trained handler or assistant handler should be used for tracking, sniffing and monitoring.
2. In order to sustain stamina, especially in case of exigencies, the dog squad should be active and agile, with daily exercise as part of protocol.
3. Mock drills should be an active part of the regime, wherein live specimens and/or wildlife contraband seized previously can be used to consistently maintain and improve the canine's olfactory functions.
4. The dog squad should be encouraged to routinely conduct surveillance and patrolling at important conduits/transit points for wildlife items which include, but are not restricted to, road check points, railway stations, bus stands and post offices. The above will help the dog retain his/her sniffing skills in the absence of active cases.
5. The dog squad may also accompany department officials at the site of any seizure to make the canine familiarized with the scent of the different kinds of wild flora and fauna, in addition to those already imparted during the training.
6. A refresher course will be organised by TRAFFIC India every 4 years after the dog squad's deployment, which should be attended by the dog squad. This two-months course will be essential in helping the canine retain memory of scents, as well as update him/her on any new smell. All costs of the refresher course will be borne by TRAFFIC India.
7. There should be a dedicated appropriate vehicle (four-wheeler) to facilitate the dog squad's movements.
8. As far as possible, the handler and the assistant handler should not be overburdened with duties other than that of the sniffer and tracker dog.

B. Reporting and Documenting Dog Squad Activities

1. Daily movement of the dog squad should be recorded properly in a log book, by the handler and the assistant handler. The format for the same is appended in Annexure II.
2. Any seizure conducted by the dog squad has to be documented properly by the handler and the assistant handler and corroborated by the Officer in Charge (OIC) of the User Agency. The format for which has been appended in Annexure II.
3. The above mentioned reports need to be shared with TRAFFIC India every month in order to strengthen the future of the programme.
4. A representative of TRAFFIC India shall also visit the field site of the deployed dog squad, periodically to monitor the dog, with prior intimation and approval from the User Agency.
5. A report of above monitoring will be submitted to O/o The Principal Chief Conservator of Forests-Wildlife and/or the designated officer.

C. **Leave of the Dog Squad's Human Members**

1. Leave should only be granted to one handler at a time. This is to make sure the canine always has trained personnel around in case of a wildlife crime case. During the training period the handler and assistant handler will need to adhere to the leave policy of the NTCD.
2. As far as possible, the handlers should also brief one the officers in basic welfare of the canine, in case of any exigency.

VI. Canine Retirement/Premature Death

The development of the retirement plan will be in active stage of deliberations between the TRAFFIC, State Forest Department and other stakeholders.

1. The average retirement age of the canine will be between 8-10 years. The canine may also be retired early should any vital concerns arise, which may or may not be medical in nature. A report on the same should be sent to TRAFFIC India within 30 working days of the decision taken by the State Forest Department.
2. A pension scheme may be considered for sustaining the canine's life in healthy service.
3. If agreeable to the handler and/or the assistant handler, the State Forest Department may hand over the canine to the human members of the dog squad post retirement, with the aforementioned pension taking care for food and medical expenses.
4. If the human members of the dog squad are unable and/or unwilling to take in the canine, then the canine may be sent:
   (i) to a retirement home of a pre-selected NGOs/Animal Welfare Organizations (AWOs) (registered under the Indian Societies Act.1860 or Indian Trust Act, Co-operative Societies Act) recognised by the Animal Welfare Board of India
   (ii) the option of homing the dog may also be opened up to other officers of the Forest Department.
   (iii) With the help of the NGO/AWO (as specified in (i)), a member of the civil society may also be entrusted with the responsibility of being the canine's caretaker upon retirement.
5. At the time of the canine's retirement or premature death, if the handler and assistant handler are under the age of 35 years and are of sound physical and mental health, the State Forest Department may recommend one or both of them to be part of a new dog squad, upon which TRAFFIC India shall give them a priority slot in the upcoming training.
6. In the event of the canine's premature death, a report should be sent to TRAFFIC India with the copy of the post-mortem report and veterinarian certificate.

VII. Rewards and Incentives

1. A life insurance scheme should be taken out for the entire dog squad, if they haven't already been registered under a scheme, to increase their morale and help increase their efficacy in the field. This may also encourage more staff members of various agencies to sign up as members of the dog squad.

2. Dog squads demonstrating outstanding performances should be rewarded with out of turn promotions or appropriate rewards by the State Forest Department. Salary increments in *lieu* of the same may also be considered. The basis of such rewards will be evaluated based on the seizure records compiled within the data recording format submitted to the State Forest Department and monitoring conducted by TRAFFIC India.
3. To keep the canine motivated and happy, the handler and assistant handler should continue the positive reinforcement exercises as taught during the training, in addition to the daily gentle but firm handling of the canine. These may include giving special snacks as treats, play time for the dog with his/her favourite toy as a reward for good behaviour, rewarding the dog with a special meal after a seizure etc may also be considered.

****

Annexure I

Guidelines for Construction of Kennel

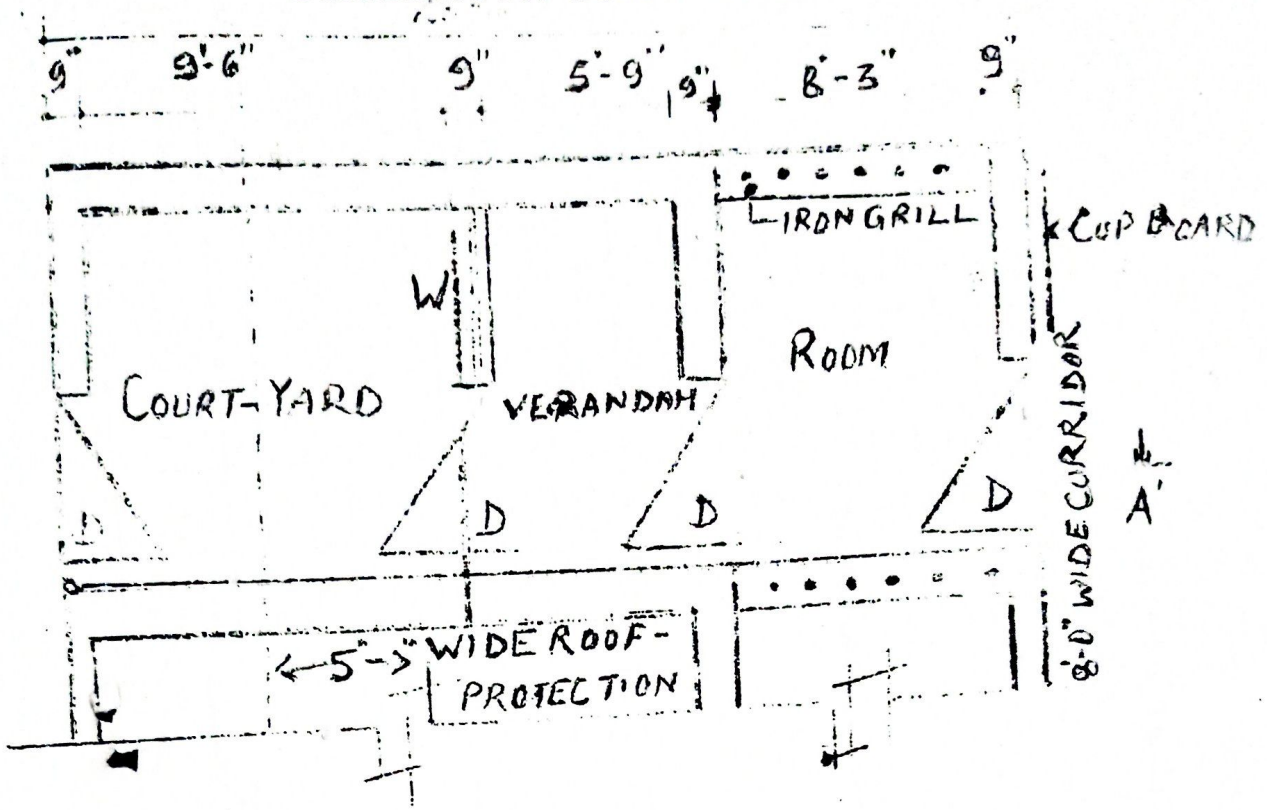

TYPICAL PLAN OF A KENNEL

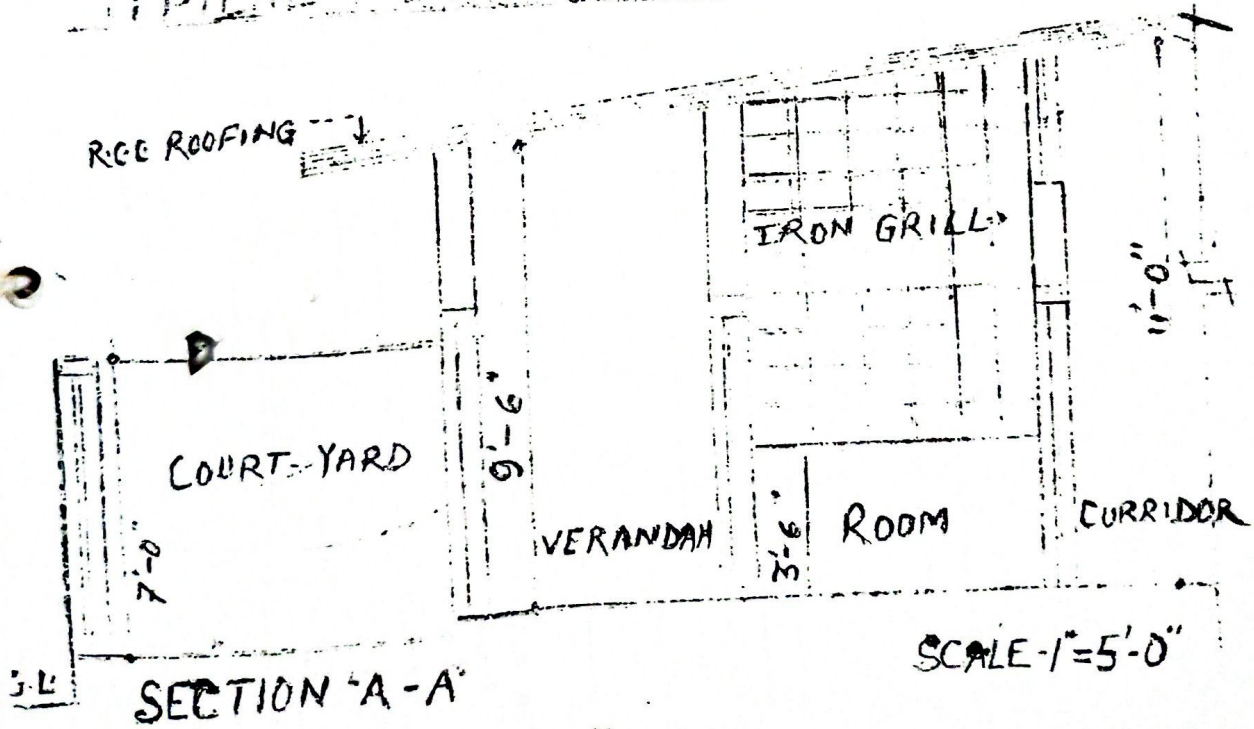

SCALE-1"=5'-0"

SECTION 'A-A'

DOG SQUAD M.P. POLICE

Commandant

Annexure II

Reporting Format for Sniffer Dog Squads (Sample)

Dog Squad: Madhya Pradesh Forest Department (Batch of 2008)
Dog Squad Code: MP08JI (Dog Squad code name format-state/year of deployment/First two chara
Name of Handler: Kailash Charar
Name of Assistant Handler: Chandra Bhusan Tiwari
Name of Canine: Jimmy
Reporting Period: January - June 2015

Date of submission	13-Aug-15
Number of active working days	90

Seizures Participated in by the Dog Squad

SN	Date of Seizure	Location	Seizures made					Time taken to detect contraband	Arrest		Case file details (if registered)	Members present
			Species	derivatives Seized	Quantity (with unit)	Description	Other contraband		Nos	Details		
1	12-Mar-08	Satpuda Tiger Reserve	Leopard	skin	1nos	Intact skin/bullet mark/ tracking details etc	2 guns, 1 trap	26 hours	Yes, 4	1. Ram,35,s/o___, r/o: 2. suresh,39,s/o___r/o:		Canine, handler and assistant
			Tiger	Claw	8nos							
2	16-May-08	Nagpur	Tiger skin and bones		1nos + 3kg	partially burnt skin, femur	bullets	12 hours	No			Canine and Handler

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / STSF/2019/ 243 भोपाल, दिनांक 18/02/2019

प्रति,

1. क्षेत्र संचालक / संचालक
   पेंच / माधव / कान्हा / संजय / पन्ना / बांधवगढ़
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
   सागर / बालाघाट / ग्वालियर
3. प्रभारी अधिकारी
   क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स
   होशंगाबाद / जबलपुर / इन्दौर / सतना।

विषय :– श्वान दल के कार्यक्षेत्र का आवंटन एवं मासिक जानकारी भेजने के संबंध में।

––00––

विषयांकित में लेख है कि वन्यप्राणी अपराध की रोकथाम एवं प्रकरणों के अन्वेषण हेतु विशेष प्रशिक्षण दिलाकर श्वान जो कि आपके कार्य क्षेत्र को आवंटित किये गये है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 13 श्वान दल कार्यरत है तथा भविष्य में 04 नवीन श्वान दल क्षेत्रीय इकाईयों को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह भविष्य में प्रत्येक वन वृत्त, टाइगर रिजर्व एवं टाइगर स्ट्राइक फोर्स इकाईयों को श्वान आवंटित किये जाने की योजना है। उपरोक्त श्वान दलों का कार्यक्षेत्र आवंटित कर आपकों भेजा जा रहा है। उक्त अनुसार नियमित रूप से अधिनस्थ श्वान दल को अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, हॉट बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, शिकारी समुदाय के डेरा चैकिंग तथा अपराध घटना स्थल पर भेज कर कार्यवाही करवाये। इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5792 दिनांक 28.08.2017 से **जारी निर्देश एवं एस.ओ.पी.** संलग्न कर भेजी जा रही है। उसके अनुसार प्रतिदिन कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उनके द्वारा किये गये कार्यो की मासिक प्रगति रिर्पोट भेजने हेतु **प्रपत्र संलग्न** कर भेजा जा रहा है। प्रपत्र भरकर इस कार्यालय को प्रत्येक माह की प्रगति रिर्पोट भेजना सुनिश्ति करें।

उपरोक्त कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त वन्यप्राणी अपराध के अन्वेषण की दृष्टि से अन्य इकाईयों द्वारा मांगे जाने पर संबंधित वन वृत्त / टाइगर रिजर्व में अनिवार्य रूप से भेजा जावे।

संलग्न :– 1. एस.ओ.पी. (07 पृष्ठ)
2. कार्यालय का पत्र 5792 दि0 28.08.2017 (02 पृष्ठ)
3. प्रपत्र (01 पृष्ठ)

(डॉ. यू प्रकाश्म)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 18/02/2019

पृ.क्रमांक / STSF / 2019 / 244

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम पंचान्न भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं कृपया अधिनस्थ मण्डल प्रबंधको को निर्देशित करे की वह उपरोक्त उल्लेखित कार्यो के लिए निकटतम श्वान दल का उपयोग करना सुनिश्चित करें।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) इन्दौर / रीवा / छतरपुर / भोपाल / होशंगाबाद / बैतूल / छिंदवाड़ा / सिवनी / खण्डवा / शहडोल / उज्जैन / शिवपुरी एवं क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उल्लेखित कार्यो के लिए निकटतम श्वान दल का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

15/2/19
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

g:\11-02-2019.docx

मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत श्वान दलों का कार्यक्षेत्र

क्र.	डॉग स्क्वाड इकाई का नाम	डॉग का नाम	कार्यक्षेत्र	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर	शेरा (Male)	टी.एस.एफ जबलपुर कार्यक्षेत्र	
2	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, होशंगाबाद	टीना (Female)	टी.एस.एफ होशंगाबाद कार्यक्षेत्र	
3	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, इन्दौर	मैना (Female)	टी.एस.एफ इन्दौर कार्यक्षेत्र	
4	क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सतना	निर्मन (Male)	टी.एस.एफ सतना कार्यक्षेत्र	
5	माधव रा.उ. शिवपुरी	हॉरवेल (Male)	वन वृत्त शिवपुरी	
6	पेंच टा.रि. सिवनी	सुन्दर (Male)	पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी / वन वृत्त सिवनी	
7	कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला	स्टार्म (Male)	कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला / वन वृत्त जबलपुर	
8	संजय टाइगर रिजर्व, सीधी	आपोलो (Male)	संजय टाइगर रिजर्व, सीधी / वन वृत्त रीवा	
9	पन्ना टाइगर रिजर्व, छतरपुर	जैकी (Male)	पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना / वन वृत्त छतरपुर	
10	वन वृत्त ग्वालियर	गैलिलियो (Male)	वन वृत्त ग्वालियर / कुनो राष्ट्रीय उद्यान	
11	बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया	आक्सेनी / वैली (Female)	बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया / वन वृत्त शहडोल	
12	वन वृत्त बालाघाट	चूम (Male)	वन वृत्त बालाघाट	
13	वन वृत्त सागर	टाइसन (Male)	वन वृत्त सागर	

टीप :– उक्त क्षेत्र में आने वाले वन विकास निगम के क्षेत्रों मे भी आवश्यकतानुसार भ्रमण करवाये।

(डॉ. यू प्रकाश्म)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

Guidelines on Standard Operating Procedures (SOP) for TRAFFIC/WWF India Sniffer Dog Programme

The points given forth shall serve as the Standard Operating Procedure (SOP) of the dog squad with State Forest Department, trained through TRAFFIC/WWF India Sniffer Dog Programme, at the National Training Centre for Dogs (NTCD), Border Security Force Academy, Tekanpur, Gwalior, Madhya Pradesh.

It shall be understood that for the purpose of this SOP, the term 'dog squad' shall constitute: the canine, his/her handler and assistant handler of the State Forest Department.

Guidelines for selection of handler and assistant handler

1. The Handler and Assistant Handler should be chosen from the rank of Forester, Forest guard, or Forest watcher, if from the Forest Department or their equivalent in other User Agency.
2. At least the handler should be a permanent staff of the department.
3. As far as possible, the Handler /Assistant Handler should be selected from the age group of 25-35 years at the time of entry into the service.
4. The Handler /Assistant Handler must be in good mental and physical health and free from any physical disability which will interfere with the discharge of his duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, if found not to satisfy requirements will not be inducted in training.
5. It will be helpful if the selected Handler /Assistant Handler has a known affinity towards dogs.
6. Previous experience in handling dogs could be an added advantage.

Conduct Guidelines

1. The handler and assistant handler will have to adhere to the rules of the training centre and of their respective state.
2. In case of violation of conduct rules by the handler or assistant handler during the training, the decision of the Officer Commanding, NTCD will be final. The matter will be intimated to the respective State Forest Department.
3. The handler and assistant handler shall at all times treat the dog humanely and avoid at any point of time mental or physical abuse the canine.
4. At all times of the programme the dog squad demonstrates best practices of discipline.

III. Finance

Adequate budgets to be allocated by State Forest Department for the dog squad for recurring expenses of the dog squad prior to training and post training.

Activities requiring Expenditure
Transportation of staff to and return from the centre with dog
Salary of the handler/assistant handler
Provision of kennel at the site of deployment
Dog maintenance cost (food, medicine, other dog accessories including bedding and winter clothing)

IV. Welfare of the Deployed Dog Squad

A. Kennels

1. The dog will be kept in a kennel designated exclusively for the canine(s). Requisite dimensions should be according to the guidelines issued by the training centre. The model map of the kennel has been provided for reference in Annexure I.
2. The kennel needs to be ready before the deployment of the Dog squad.
3. The kennel should be cleaned everyday with phenyl and a small dosage of an ectoparasiticide (such as Deltamethrin or Amitraz). Since ticks and fleas are commonly found on the walls and floors of a dog's dwelling, especially during summer and monsoons and areas with a lot of vegetation around, usage of an insecticide with these components will minimize the risk of ecto-parasites, while being safe for the animal as well.
4. The kennel should at all times have a bowl of fresh potable water available for the dog.
5. Stagnant water should not be allowed to collect near the kennel, especially during mosquito breeding season, since mosquito borne diseases can be contracted by canines and may be life-threatening.

B. Health care

a. Canine veterinary care

1. In the absence of a veterinarian employed with the State Forest Department, a local veterinarian, registered with the Veterinary Council of India, should be appointed as the regular consultant for the sniffer dog.
2. The dog should be subjected to a full veterinary check-up, at least twice a year, for the first eight years, post which they should be conducted at intervals of three months.
3. All vaccinations and administration of de-worming medication should be done as per schedule (Attached). Handler cards (given to handlers during training) should be maintained carefully and updated regularly so that it can act as a complete and updated record regarding the dog.

4. The diet should be according to the guidelines (Attached) issued by the veterinarian at the training centre. The same may be modified as per local availability after consultation with the local veterinarian.
5. The dog should be bathed only with shampoos/formulations meant for animal use, which may be decided in consultation with the local veterinarian, depending on the dog's needs. The bathing schedule should be dependent on the prevalent season/weather in the area of deployment. An ecto-parasiticide may also be used once in two months/monthly to eliminate any parasites on the body, in consultation with the vet.
6. The dog should be groomed daily to stimulate blood flow to the epidermal layer and encourage healthy hair and skin.
7. Basic hygiene needs to be maintained at all time, with special attention paid to the eyes, gums and ears staying clean. Techniques for the same would have been imparted during the training.

b. Handler and Assistant Handler medical care

1. The handler and assistant handler, of every dog squad, will be provided pre-emptive rabies vaccinations prior to the training. The booster shots of the same shall continue, annually, as per protocols.
2. Medical insurance should be done for the dog squad's handler and assistant handler on active duty, in case of injury as per departmental provisions.
3. A full annual health check-up should preferably be conducted for the handler and the assistant handler to make sure that they are in the prime of health and avoid incidence of spread of any Zoonotic disease.
4. Care should be taken to spray the habitations of handlers also with the recommended ecto-pariscidal medicines.

C. Breeding or other use of Dog

The wildlife sniffer dog dog (male/female) is meant for wildlife crime protection, under any circumstances, it should not be used for breeding or any other purpose except for anti-poaching/anti-trafficking work

Dog Squad Regime

A. Anti-poaching and anti-trafficking surveillance

1. The canine(s) should be part of the anti-poaching unit and only the exclusively trained handler or assistant handler should be used for tracking, sniffing and monitoring.
2. In order to sustain stamina, especially in case of exigencies, the dog squad should remain active and agile, following daily exercise regime, as part of the protocol.
3. Mock drills should be an active part of the regime, wherein live specimens and/or wildlife contraband seized previously can be used to consistently refresh and improve the canine's olfactory functions.

4. The dog squad should be encouraged to routinely conduct surveillance and patrolling at important conduits/transit points for wildlife items which include, but are not restricted to, road check points, railway stations, bus stands and post offices. The above will help the dog retain his/her sniffing skills in the absence of active cases.
5. The dog squad may also accompany department officials at the site of any seizure to make the canine familiarized with the scent of the different kinds of wild flora and fauna, in addition to those already imparted during the training.
6. A refresher course will be organised by TRAFFIC India every 3-4 years after the dog squad's deployment, as per requirement, which should be attended by the dog squad. This two-months course will be essential in helping the canine refresh the memory of scents, as well as update skills on any new smell. All costs of the refresher course will be borne by TRAFFIC India.
7. There should be a dedicated appropriate vehicle (four-wheeler) to facilitate the dog squad's movements.
8. As far as possible, the handler and the assistant handler should not be overburdened with duties other than that of the sniffer and tracker dog.

B. **Reporting and Documenting Dog Squad Activities**

1. Daily movement of the dog squad should be recorded properly in a log book, by the h[redacted] and the assistant handler. The format for the same is appended in Annexure II.
2. Any seizure conducted by the dog squad has to be documented properly by the handler and the assistant handler and corroborated by the Officer in Charge (OIC) of the User Agency. The format for which has been appended in Annexure II.
3. A representative of TRAFFIC India shall also visit the field site of the deployed dog squad, periodically to monitor the dog, with prior intimation and approval from the User Agency.

C. **Leave of the Dog Squad's Human Members**

1. Care should be taken while granting leave to dog handlers and it should only be granted to one handler at a time. This is to make sure that the canine always has trained personnel around in case of a wildlife crime case. During the training period the handler and assistant handler will need to adhere to the leave policy of the NTCD.
2. As far as possible, the handlers should also brief one the officers in basic welfare of the canine, in case of any exigency.

VI. Canine Retirement/Premature Death

The development of the retirement plan will be in active stage of deliberations between the TRAFFIC, State Forest Department and other stakeholders.

1. The average retirement age of the canine will be between 8-10 years. The canine may also be retired early should any vital concerns arise, which may or may not be medical in nature. A report on the same should be sent to TRAFFIC India within 30 working days of the decision taken by the State Forest Department.

2. A pension scheme may be considered for sustaining the canine's life in healthy service.
3. If agreeable to the handler and/or the assistant handler, the State Forest Department may hand over the canine to the human members of the dog squad post retirement, with the aforementioned pension taking care for food and medical expenses.
4. If the human members of the dog squad are unable and/or unwilling to take in the canine, then the canine may be sent:
   (i) to a retirement home of a pre-selected NGOs/Animal Welfare Organizations (AWOs) (registered under the Indian Societies Act.1860 or Indian Trust Act, Co-operative Societies Act) recognised by the Animal Welfare Board of India
   (ii) the option of homing the dog may also be opened up to other officers of the Forest Department.
   (iii) With the help of the NGO/AWO (as specified in (i)), a member of the civil society may also be entrusted with the responsibility of being the canine's caretaker upon retirement.
5. At the time of the canine's retirement or premature death, if the handler and assistant handler are under the age of 35 years and are of sound physical and mental health, the State Forest Department may recommend one or both of them to be part of a new dog squad, upon which TRAFFIC India shall give them a priority slot in the upcoming training.
6. In the event of the canine's premature death, a report should be sent to TRAFFIC India with the copy of the post-mortem report and veterinarian certificate.

11. Rewards and Incentives

1. A mechanism of reward and incentives should be devised by the deploying agency for the Dog squad. This may be in the form of special performance-based cash awards, extra pair of uniform or combat shoes, special diet allowance, preferred accommodation etc. to increase their morale and help increase their efficacy in the field. This may also encourage more staff members of various agencies to sign up as members of the dog squad.
2. Dog squads demonstrating outstanding performances can be considered for out of turn promotions or appropriate rewards by the State Forest Department as per available provisions. Salary increments in *lieu* of the same can also be considered. The basis of such rewards will be evaluated based on the seizure records compiled within the data recording format submitted to the State Forest Department and monitoring conducted by TRAFFIC India.
3. To keep the canine motivated and happy, the handler and assistant handler should continue the positive reinforcement exercises as taught during the training, in addition to the daily gentle but firm handling of the canine. These may include giving special snacks as treats, play time for the dog with his/her favourite toy as a reward for good behaviour, rewarding the dog with a special meal after a seizure etc may also be considered.

****

VACCINATION SCHEDULE

1. DHPPI+L

Primary Vaccination	4 Week of age	Inj Puppy DP
1st booster	8 Week of age	Inj DHPPI+L
2nd booster	12 Week of age	Inj DHPPI+L
Repeat Annually		

2. Anti Rabies (ARV)

Primary Vaccination	03 Months of age	Inj ARV
1st booster	09 Months of age	Inj ARV
Repeat Annually		

3. Deworming

1st	21 days of age
2nd	28 days of age
Monthly up to 6 Month of age	
Quarterly life long	

Commercial Food Scale

A	Puppy (4th week to 5th week)	150 to 200 gm per day
B	Puppy (6th week to 6th Month)	200 to 500 gm per day
C	Adult Dog (6 Months and above)	500 to 650 gm per day
D	Pregnant /Lactating Bitches	12to 20 % Over and above the scale recommended for active dog ration.

RATION SCALE OF ADULT DOG

Sr. No	Food	Qty		Food	Qty
1	Rice/Atta	480 gm	Or	Bread	480 gm
2	Biscuit	30 gm	Or	Rice/Atta	30gm
3	Meat	680 gm	Or	Milk & egg.	1180 ml + 02 Boiled egg
4	Fresh vegetable	230 gm	Or	Pack Vegetable	110gm

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन–1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 फैक्स 0755-2766315 E-mail—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / STSF / डी.एस / 2020 / 1403 भोपाल, दिनांक 16/12/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / कार्यायोजना / अनुसंधान एवं विस्तार)
2. समस्त क्षेत्र संचालक, टाइगर रिजर्व,
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी / उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय :— **श्वान दल में सलंग्न होकर हैण्डलर / सहायक हैण्डलर के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक व युवा वनरक्षकों (अधिकतम आयु 35 वर्ष) के संबंध में।**

संदर्भ :— **ट्राफिक इण्डिया नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / TRF-55/SDP-16/2020 दि. 27.07.2020**

——::❀✻❀::——

प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 16 श्वान दल विगत लगभग 10 वर्षो से कार्यरत है। इन श्वान दलों के द्वारा समय–समय पर प्रदेश में वन्यप्राणी अपराधों का पता लगाने, अपराध अन्वेषण में व आरोपियों को गिरफ्तार करने में अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुये विशेष सहयोग प्रदान किया है। वर्तमान में प्रदेश में सबसे अधिक बाघ एवं तेन्दुओं की संख्या निवासरत है तथा जंगली हाथियों का समूह भी प्रदेश के जंगलों में पडोसी राज्यों से प्रवेश कर चुके है। पिछले कुछ अवसरों पर श्वान दलों द्वारा अवैध कटाई, अवैध परिवहन के प्रकरणों में लिप्त आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

अतः वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु श्वान दल की संरचना का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है साथ ही वर्तमान में घटित हो रहे अपराध प्रकरणों की संख्या व संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त श्वान दलों का गठन भी किया जाना प्रस्तावित है।

इस हेतु श्वान दल में हैण्डलर / सहायक हैण्डलर रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक एवं युवा वनरक्षकों **जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो** की आवश्यकता है। उक्त वनरक्षकों को 09 माह का विशेष प्रशिक्षण, बार्डर सेक्यूरिटी फोर्स / पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र से कराया जावेगा तथा वह संबंधित श्वान के साथ आगामी 10 वर्ष तक साथ रहेगे। उनकी पदस्थिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार वन्यप्राणी मुख्यालय द्वारा प्रदेश के किसी भी जिले / वनमण्डलों में की जावेगी।

अतः अधीनस्थों को इस संबंध में अवगत करावें तथा इच्छुक वनरक्षकों के आवेदन संलग्न प्रारूप अनुसार आपके माध्यम से ई–मेल acf.stsf@mp.gov.in पर भिजवाने का कष्ट करें, ताकि उपरोक्त कार्य हेतु उनका चयन की कार्यवाही समय रहते की जा सके।

संलग्न :— आवेदन प्रारूप।

16/12/2020

(आलोक कुमार)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / STSF / डी.एस. / 2020 / 1404 भोपाल, दिनांक 16/12/2020

प्रतिलिपि :—

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–2) सतपुड़ा भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

6/c

मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत श्वान दल में कार्य करने हेतु समहति पत्र

1. नाम :–
2. पदनाम :–
3. जन्मतिथि :–
4. विभाग में नियुक्ति दिनांक :–
5. वर्तमान पदस्थिति (वनमण्डल/वन वृत्त) :–
6. गृह जिला :–
7. शैक्षणिक योग्यता :–
8. घर में श्वान है या नहीं :–
9. कोई बीमारी हो तो :–
10. श्वान के संबंध में पूर्व कोई अनुभव :–

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। मैं श्वान दल में शामिल होकर हैण्डलर/सहायक हैण्डलर के रूप में 09 माह का आधार भूत प्रशिक्षण लेकर आगामी 10 वर्ष तक कार्य करने का इच्छुक हूँ। मुझे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्रदेश किसी भी जिले/वनमण्डल में आवश्यकतानुसार संलग्न किये जाकर कार्य कराये जाने पर कोई अपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :–
स्थल :–

हस्ता.
नाम :–
पदनाम :–
कार्यालय का नाम
मोबाईल नम्बर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

प्रगति भवन तृतीय तल, एम.पी.नगर, जोन-1, भोपाल (म0प्र0)

दूरभाष 0755-2674248, 2674318 **फैक्स** 0755-2766315 **E-mail**—pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/STSF/डी.एस./2021/700 **भोपाल, दिनांक** 14/06/21

प्रति

1. क्षेत्र संचालक
   संजय टाइगर रिजर्व, सीधी
2. वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज,
   मध्यप्रदेश

विषय :— **श्वान हैण्डलर/सहायक हैण्डलर को अन्य कार्यों संलग्न न किये जाने बावत्।**

संदर्भ :— **01. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/STSF/डी.एस./2020/1431 दिनांक 22.12.2020**
02 श्री इन्द्रजीत सेन, फाउंडर सेविग टाइगर सोसायटी, कोलकाता का ई—मेल दि. 04.06.21

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा श्वान दल का गठन वन एवं वन्यप्राणी अपराध पर नियंत्रण कार्य हेतु किया गया है। श्वान दल को वन्यप्राणी अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों टाइगर रिजर्व व कुछ वन वृत्त/वनमण्डल में आवंटित कर कार्य कराया जा रहा है। विगत कुछ वर्षो में श्वान दल के द्वारा वन्यप्राणी अपराधों का पता लगाने में तथा इन अपराधों के अन्वेषण में उत्कृष्ट कार्य कर कई प्रकरणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्वान दल के कार्य में संलग्न श्वान हैण्डलर/सहायक हैण्डलर को विभाग द्वारा 09 माह के आधारभूत प्रशिक्षण मध्यप्रदेश पुलिस व सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ) के प्रशिक्षण केन्द्र में दिलाया गया है। श्वान दल संबंधी अद्योसंरचना, श्वान केनल, हैण्डल/सहायक हैण्डलर के निवास का निर्माण भी आपके द्वारा मांग पर राशि आवंटित करवाया गया है। श्वान दल के रख—रखाव एवं सुचारू संचालन संबंधी विस्तृत दिशा—निर्देश भी जारी किये गये है।

इस कार्यालय को संदर्भित क्रमांक दो से ज्ञात हुआ है कि आपको आंवटिन श्वान दल के हैण्डलर/सहायक हैण्डलर को बीट का प्रभार/कार्यालयीन कार्य में संलग्न किया गया है तथा संजय टाइगर रिजर्व के हैण्डलर/सहायक हैण्डलर हेतु निर्मित आवास को किसी ओर के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। जो कि अत्यंत खेद का विषय है, जबकि इस संबध में आपको पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि श्वान दल का उपयोग केवल वन्यप्राणी अपराध की रोकथाम के कार्यो में ही किया जावेगा।

अतः इस संबंध में अपने स्तर से तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर उचित निर्देश जारी कर संबंधित हैण्डलर/सहायक हैण्डलर को अन्यत्र दायित्वों से तत्काल मुक्त करें। संदर्भित क्रमांक दो संलग्न कर भेजा जा रहा इसमें दिये गये सुझाव का पालन कर श्वान दल का अधिक से अधिक उपयोग वन्यप्राणी अपराध के नियंत्रण संबंधी कार्यो में ही करने का कष्ट करेंगे।

14.06.21

(डॉ. एच.एस. नेगी)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/STSF/डी.एस./2021/701 **भोपाल, दिनांक** 14/06/21

प्रतिलिपि :—

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बालाघाट/भोपाल/शहडोल/रीवा/खण्डवा/छिंदवाड़ा/सागर एवं क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व कान्हा/पन्ना/पेंच/बाघवगढ़/सतपुड़ा टाइगर रिजर्व म.प्र. की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया आपको आवंटित श्वान दल के संबंध में भी उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये श्वान दल का उपयोग केवल वन एवं वन्यप्राणी अपराध के नियंत्रण संबंधी कार्यो में ही कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रभारी, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल